भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3303

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

अमृतसर में उर्वरक निर्माण इकाइयों की स्थापना

3303. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयात निर्भरता को कम करने के लिए अमृतसर में किसी उर्वरक इकाई की सहायता करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त इकाई से न केवल परिवहन लागत और आयात निर्भरता कम होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, कृषि को सहायता मिलेगी और सस्ते घरेलू उत्पादन के माध्यम से अत्यधिक राजसहायता के बोझ को कम किया जा सकेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजनाओं के तहत उक्त इकाइयों का प्रस्ताव कृषि-लागतों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और इस तरह के रणनीतिक निवेश के लिए अमृतसर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर

फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), असम के मौजूदा परिसर के भीतर जेवीसी के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटी बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को 15.07.2026 को मंजूरी दी।

पीएंडके उर्वरकों के लिए, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को उत्पादन इकाइयों के पुनर्जीवन, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर दिनांक 18.01.2024 को जारी दिशानिर्देश के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं, जैसे कि आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया गया है; अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है; एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर 28 ग्रेड कर दी गई है; मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू की गई है। इसके अलावा स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस स्कीम के तहत पोषक तत्वों की दरें द्विवार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

उर्वरक संबंधी कच्चे माल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम), एमएनआरई की हरित हाइड्रोजन पारगमन के लिए कार्यनीतिक हस्तक्षेप (साइट) स्कीम के मोड-2ए के तहत, पी एंड के उर्वरकों के उत्पादन के लिए उर्वरक कंपनियों के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष लगभग 7 एलएमटी ग्रीन अमोनिया की खरीद का प्रावधान किया है। इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए, ग्रीन अमोनिया उत्पादकों और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के बीच ग्रीन अमोनिया खरीद करारों (जीएपीए), और उर्वरक कंपनियों और एसईसीआई के बीच ग्रीन अमोनिया बिक्री करारों (जीएएसए) पर 30.03.2026 को हस्ताक्षर किए गए।

हालांकि, वर्तमान में अमृतसर में यूरिया उर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना या इसमें सहायता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
